न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

[illegible] 15/2009

1. बाबूलाल पुत्र देवकरण जाति धाकड निवासी पाकलखेडा तहसील मांगरोल जिला बारां (मृतक)

1/1 निशा कुमारी पुत्री
1/2 पूजा कुमारी पुत्री
1/3 टीना कुमारी पुत्री
1/4 अलका नागर पुत्री
1/5 मनोज कुमार पुत्र
1/6 सुगना बाई बेवा

} बाबूलाल (मृतक) जाति धाकड निवासी ग्राम पाकलखेडा तहसील मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. नैनगीलाल पुत्र
2. छोटूलाल पुत्र
3. शांतिलाल पुत्र
4. मोहनलाल पुत्र
5. हीराबाई बेवा

} पिसरान खेमा जाति धाकड निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील बारां जिला बारां हाल किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां

6. नाथूलाल पुत्र
7. रामदयाल पुत्र
8. शम्भुलाल पुत्र
9. ग्यारसीबाई बेवा
10. उर्मिला बाई पुत्री
11. कांति बाई पुत्री
12. कैलाशी बाई पुत्री

} ठेकलिया जाति धाकड निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील बारां हाल निवासी किशनगंज जिला बारां

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते घोषित व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा व श्री हरिओम प्रजापति
वकील प्रतिवादीगण : श्री दया कृष्ण धाकड
दायरा दिनांकः 17.06.2009 — निर्णय दिनांक : 28.12.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2029 से 2032 ग्राम पाकलखेडा तहसील मांगरोल के खाता नं0 17/16 में खसरा नं0 620 महुआ के गेला की रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 621 रायथल के रास्ते की रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 625 बावडी वाला रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 631 कुआ वाली रकबा 7 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा

[illegible] जाति धाकड लक्ष्मीपुरा तहसील बारां के खाते दर्ज हो रही है। सेटलमेंट [illegible] आराजी के खसरा नं0 896 रकबा 0.17 है0 खसरा नं0 898 रकबा 0.15 है0, [illegible] है0, खसरा नं0 936 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 940 रकबा 0.06 है0 कुल [illegible] है0 दर्ज किये गये। पूर्व खातेदार खेमा और ठेकलिया की मृत्यु होने के बाद इंतकाल [illegible] वारिसान प्रतिवादी नं0 1 लगायत 12 के खाते में आराजी दर्ज की गई। मृतक खातेदार [illegible] ठेकलिया जी लगभग 100 वर्ष पूर्व अपना पैतृक गांव पाकलखेडा छोडकर ग्राम लक्ष्मीपुरा [illegible] में चले गये और वही पर सह परिवान निवास करने लगे तथा जीविका पार्जन के लिये वही [illegible] करने लगे। वर्तमान में आराजी पर वादी काश्त कर रहा है। आराजी का राजस्व लगान [illegible] के द्वारा ही जमा कराये जाते रहे है, लगभग 50–60 वर्षो से वादी के पिता तन्हा बिना किसी [illegible] के काश्त करते चले आ रहे हैं। जो आज भी बरकरार है। आज तक वादी की कब्जे काश्त को [illegible] द्वारा कभी भी चुनौती नही दी है, इस प्रकार लगातार कब्जे के आधार पर वादी आराजी का [illegible] खाते जो चुका है, व अपने पक्ष में खातेदारी की घोषणा कराये जाने का अधिकारी है। प्रतिवादी 1 [illegible] 12 ने उक्त वर्णित आराजी का इंतकाल अपने पक्ष में खुला लेने पर वादी द्वारा इंतकाल नं0 273 की अपील इस न्यायालय में पेश की गई थी, और इस न्यायालय द्वारा वादीगण की अपील स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 22.09.2006 से प्रतिवादीगण का इंतकाल खारिज करते हुये पुनः सुनवाई के लिये तहसीलदार मांगरोल को रिमाण्ड की गई है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 12 का लगभग 100 वर्षो से आराजी पर कब्जा काश्त नही है, मात्र रेकार्ड में नाम होने की वजह से प्रतिवादी नं0 1 लगायत 12 जमीन को खुर्द–बुर्द करना चाहते है, जिनको की उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को वादपत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी का खातेदार घोषित यिक जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया, अखबार की सूचना से तामील होने पर अधिवक्ता श्री दया कृष्ण धाकड द्वारा वकालत नामा पेश करके प्रतिवादी कम 1 ता 4 व प्रतिवादी कम 6 ता 8 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। जो निम्नानुसार है :–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।

02. वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।

03. वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है।

04. वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है, प्रतिवादीगण लक्ष्मीपुरा की जमीन स्वयं करते है, एवं [illegible] की जमीन भी स्वयं करते है, लेकिन कभी–कभी उक्त आराजियात को पांती काश्त या मुनाफा काश्त पर भी दे देते हैं

05. वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादी के पिता से अच्छे संबंध होने के कारण केवल 2–3 वर्ष की पांती की थी।

06. वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।

07. वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।

08. वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है।

09. वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी होने से स्वीकार है।

10. वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है।

विशेष कथन:– प्रतिवादीगण के पिता एवं वादी के पिता के मध्य अच्छे संबंध होने से दो तीन वर्ष वादी के पिता से प्रतिवादीगणो द्वारा पांती काश्त की गई थी। एवं प्रतिवादीगण गांव के ही अलग–अलग व्यक्तियों को सालाना कभी पांती काश्त कभी मुनाफा काश्त कर अपनी आराजियात को दे दिया करते थें, लेकिन वादी के पिता से अच्छे संबंध होने के कारण प्रतिवादीगण के राजस्व रेकार्ड में अंकित आराजियात की देखभाल वादी के पिता किया करते थें। प्रतिवादीगण के पिता के वादी के पिता से अच्छे संबंध होने के कारण कर्ता–पिलाई के पैसे देकर रसीद प्राप्त कर लेते थे। प्रतिवादीगण को यह भी मालूम नही था, कि उनके पिता के इंतकाल के बाद दर्ज इन्तकाल की अपील भी हुई हो। प्रतिवादीगण को वादी 2005 से लगातार मुनाफा काश्त के पैसे भेज रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण को यह मालूम नही हुआ कि वादी द्वारा उनकी आराजी पर कब्जा कर लिया गया है। वादी के मन में बदनियति आने के कारण वादी द्वारा झूठा मिथ्या वाद दायर किया गया है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद पत्र व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

01. आया खसरा नं0 896 रकबा 0.17 है0 खसरा नं0 898 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 899 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 936 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 940 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम पाकलखेडा तह मांगरोल की आराजी पर वादी गत 50–60 वर्षो से लगातार काश्त करता चला आ रहा है व लगातार काश्त करने से वादीगण खातेदारी आराजी प्राप्त करने के अधिकारी है।
वादी

[illegible] प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर वादी के पिता से पांती काश्त कराया करता था, लेकिन [illegible] आ जाने से आराजी पर कब्जा करने को आमादा है। प्रतिवादीगण

[illegible] से मुनाफा काश्त के रूपये प्रतिवादीगण को भेजते रहे है। प्रतिवादीगण

[illegible] सामग्री

[illegible] वादी ने वादी की ओर से पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी बाबूलाल, पीडब्ल्यू 2 हेमराज, पीडब्ल्यू 3 मनोज [illegible] पीडब्ल्यू 4 [illegible] के बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की है, और न ही दस्तावेज पेश किऐ है।

प्रदर्श:– 1 जमाबंदी ग्राम पाकलखेडा तह0 मांगरोल सम्वत 2063–2066।

प्रदर्श:– 2 जमाबंदी ग्राम पाकलखेडा तह0 मांगरोल सम्वत 2029–2032।

प्रदर्श:– 3, 6 जमाबंदी ग्राम पाकलखेडा तह0 मांगरोल सम्वत 2059–2062।

प्रदर्श:– 4 मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर ग्राम पाकलखेडा।

प्रदर्श:– 5 इंतकाल नं0 273 दिनांक 20.07.2005 ग्राम पाकलखेडा।

प्रदर्श:– 7 निर्णय दिनांक 22.09.2006 न्यायालय एस0डी0ओ0 साहब मांगरोल।

प्रदर्श:– 8 से 19 तक आराजी की कर्ता लगान की रसीदे है।

प्रदर्श:– 20 अखबार स्याहा कराने की प्रति है।

प्रदर्श:– 21 जमाबंदी सम्वत 2012–15 ग्राम पाकलखेडा है।

प्रदर्श:– 22 ता 24 जमाबंदी सम्वत 2016–18, 2018–20, 2031–33।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। गवाह पीडब्ल्यू 1 ता पीडब्ल्यू 4 के बयानो को पढा गया। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो के आधार पर ही अपनी तनकी साबित करने का प्रयास किया है बहस के अनुसार निम्न प्रकार से तनकीवार निर्णय दिया जा रहा है:–

तनकी नं0 1– इसको साबित करने का भार वादी पर था। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि पूर्व खातेदार खेमा व ठेकलिया ग्राम पाकलखेडा तह0 मांगरोल को लगभग 100 वर्ष पूर्व छोडकर चले गये थे।

[illegible] में नही आये और ना ही कभी आराजी पर काश्त की। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य से साबित नही कराया है। पांती काश्त की या मुनाफा [illegible] दस्तावेज पेश नही किया है जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादीगण ने कभी [illegible] से काश्त करायी हो। वकील वादी ने बहस में बताया कि प्रतिवादीगण ने [illegible] इंतकाल नं0 273 दिनांक 20.07.2005 अपने नाम दर्ज करा लिया था। उक्त [illegible] न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.2006 से खारिज कर दिया है।

[illegible] वादी ने अपनी बहस में बताया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–18 में वादी के दादा बजरंगलाल [illegible] दर्ज हो रही है। प्रदर्श 23 खसरा गिरदावरी में वादी के पिता देवकरण के नाम काश्त दर्ज [illegible] तथा सम्वत 2030–33 की खसरा गिरदावरी में वादी के दादा रामनिवास के नाम काश्त दर्ज हो [illegible] प्रदर्श 8 से प्रदर्श 19 तक लगान जमा कराने की रसीदे है जिनको वादी या वादी के पिता [illegible] ने जमा कराई है। गवाह पीडब्ल्यू 1 ता 4 अपने बयानो में कहां है कि प्रवितादीगण को उन्होने [illegible] काश्त करते हुए नही देखा है। प्रतिवादीगण ग्राम पाकलखेडा में भी निवास नही किया है।

वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि इंतकाल नं0 273 खारिज हो जाने के बाद भी प्रतिवादीगण की ओर से पूनः अपने खाते दर्ज करवाने वास्ते कोई कार्यवाही नही की गयी है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। और ना ही साक्ष्य पेश की है। जिससे ज्ञात हो कि प्रतिवादीगण आराजी को पांती काश्त कराते थे, मुनाफा काश्त कराते थें मात्र जवाब दावा में लिखदेने भर से साबित नही हो जाता है।

न्यायालय के मत में वादी ने अपने दस्तावेजो व गवाहान के आधार पर तनकी नं0 1 को अपने पक्ष में भली–भांती साबित कर दिया है। इंतकाल नं0 273 खारिज हो जाने के बाद प्रतिवादीगण को यह भी साबित करना है कि वह मृतक खातेदार खेमा व ठेकलिया के वारिसान है। जो कि प्रतिवादीगण साबित नही कर पाये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 व 3– इन दोनो तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था दोनो तनकी एक दूसरे से मिली होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपनी तनकीयों को साबित करवाने वास्ते कोई दस्तावेज पेश नही किया है और कोई साक्ष्य पेश नही की है।

[illegible] ने बताया कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में लिखवाया है कि [illegible] के पिता से वादी काश्त कराया करते थे मुनाफा काश्त पर देते थें और 2005 से मुनाफा [illegible] वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भेजते थे लेकिन अपने जवाब दावा के समर्थन मे कोई [illegible] नहीं की है। जिसके आधार पर प्रतिवादीगण की बात को सही माना जावें। जबकि [illegible] को साबित किया है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण तनकी नं0 2 व 3 को साबित नही [illegible] तनकी नं0 2 व 3 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

[illegible] अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि हाल जमाबंदी ग्राम [illegible] तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 896 रकबा 0.17 है0 खसरा नं0 898 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 899 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 936 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 940 रकबा 0.06 है0 कुल [illegible] 5 रकबा 0.45 है0 पर दर्ज हाल खातेदार नैनगीलाल वगै0 सभी खातेदारो को नाम खारिज किया जाता है तथा उक्त वर्णित आराजी पर खारिज किये गये खातेदारो के नाम के स्थान पर वादीगण निशा कुमारी, पूजा कुमारी, टीना कुमारी, अल्का कुमारी, मनोज कुमार पिसरान बाबूलाल सुगना बाई बेवा बाबूलाल जाति धाकड निवासीगण पाकलखेडा तह0 मांगरोल जिला बारां को खातेदार घोषित किया जाता है तथा खाते में नाम दर्ज किये जाने का भी आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन